अध्याय-I

प्रस्तावना

अध्याय – I

प्रस्तावना

वर्तमान में भारत में वह शिक्षा जो कि 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद प्राप्त होती है और कम से कम तीन वर्ष की अवधि की होती है, उच्च शिक्षा के रूप में परिभाषित की जाती है। यह शिक्षा सामान्य, व्यावसायिक, पेशेवर या तकनीकी शिक्षा की प्रकृति की हो सकती है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुसार, वर्तमान में भारत में उच्च शिक्षा सहित शिक्षा की संरचना ***चार्ट 1.1*** में दर्शाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रचलित संरचना में व्यापक सुधार की परिकल्पना करती है। इसमें कहा गया है कि स्कूली शिक्षा में मौजूदा 10 + 2 संरचना को 3-18 आयु वर्ग को सम्मिलित करते हुए 5 + 3 + 3 + 4 की एक नए शैक्षणिक और पाठ्यक्रम सरंचना में संशोधित किया जाएगा। {बुनियादी/आधारभूत- 5 वर्ष (आयु 3-8 वर्ष आंगनवाड़ी/पूर्व-स्कूल/बालवाटिका तथा कक्षा 1 व 2 में }, {प्रारंभिक- 3 वर्ष (आयु 8-11 वर्ष कक्षा 3 से 5 में)}, {मध्य- 3 वर्ष (आयु 11-14 वर्ष कक्षा 6 से 8 में)}, और {माध्यमिक- 4 वर्ष (आयु 14 -18 वर्ष कक्षा 9 से 12 में)} ।

चार्ट 1.1 : भारत में शिक्षा की संरचना

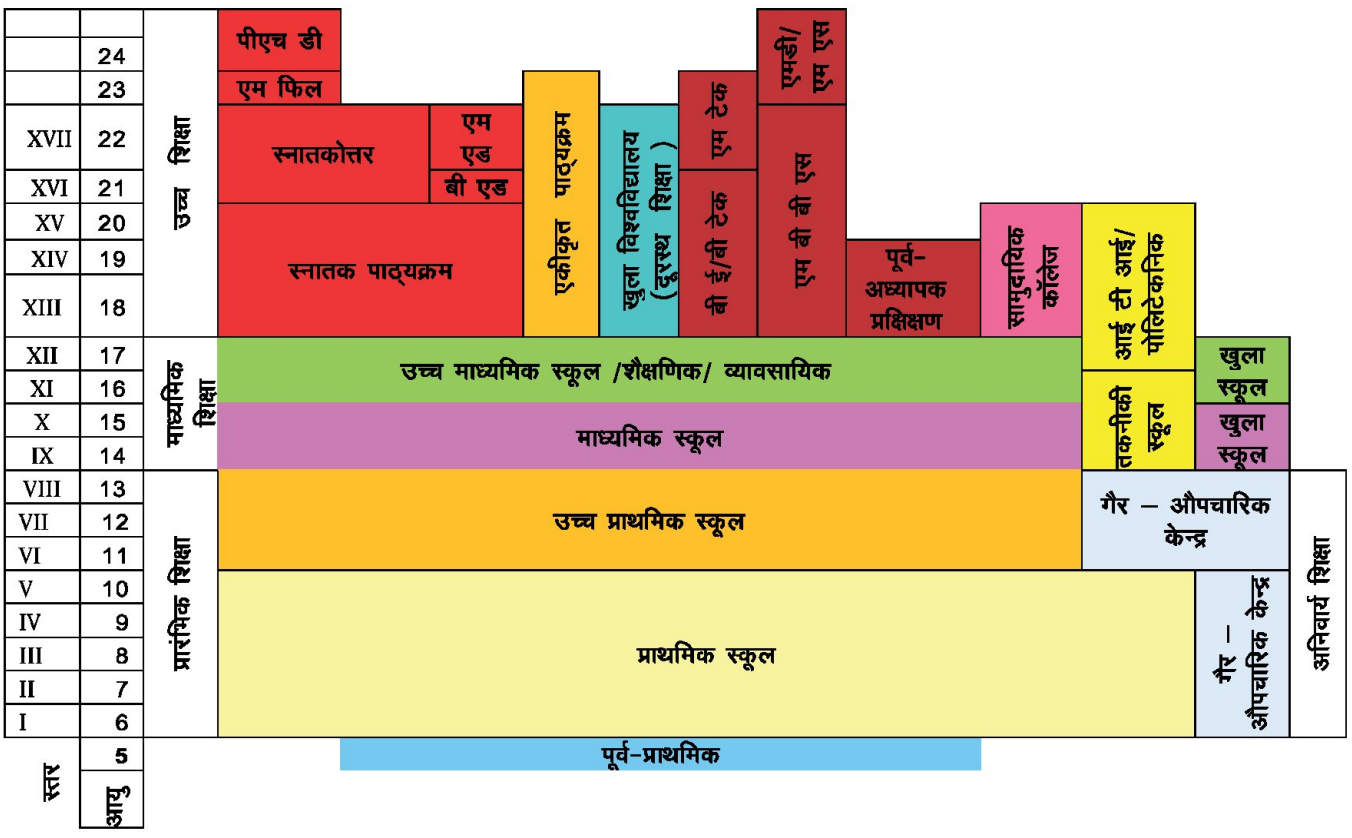

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा दो बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त है। प्रथम निम्न सकल नामांकन अनुपात[2] जो 2017-18 में 25.8 प्रतिशत था। दूसरी बुनियादी समस्या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता है; अर्थात देश में विश्व स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों[3] का अभाव है। इन दोनों पहलुओं पर, राजस्थान के उच्च शिक्षा तंत्र ने कमजोर प्रदर्शन किया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना आगे कुछ पहलुओं को इंगित करती है जिन पर भारतीय उच्च शिक्षा तंत्र का प्रदर्शन अपर्याप्त है। यह निम्नानुसार है :

- उच्च शिक्षा तक पहुंच अभी भी न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कम हैं,
- क्षेत्रीय/शहरी/ग्रामीण संतुलन के संदर्भ में संस्थानों का विषम वितरण,
- सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में नामांकन अधिकांशतः परम्परागत विषयों में केंद्रित हैं,
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ अधिकांश विश्वविद्यालयों में किए गए शोध असंतोषजनक हैं,
- बड़ी संख्या में संकाय के पद रिक्त हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 भी वर्तमान में भारतीय उच्च शिक्षा के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करती है। इसमें शामिल है:

- गंभीर रूप से खंडित उच्च शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र,
- विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में सीमित पहुंच,
- योग्यता आधारित कैरियर प्रबंधन तथा संकाय व संस्थागत लीडरों की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र,
- अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोधों पर अपर्याप्त जोर,
- संज्ञानात्मक कौशल के विकास और अधिगम परिणामों पर कम बल,
- विषयों का एक कठोर विभाजन, छात्रों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर धकेल देना,
- सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता; तथा
- बड़ी संख्या में संबद्धक विश्वविद्यालय, जिनके परिणामस्वरूप स्नातक शिक्षा का निम्न स्तर।

इन मुद्दों के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक रोजगार क्षमता की कमी है। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2020[4] में पाया गया है कि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों से स्नातक होने वाले 50 प्रतिशत से

---

2 सकल नामांकन अनुपात उम्र पर ध्यान दिए बिना, उच्च शिक्षा में एक निश्चित वर्ष में कुल नामांकन है जो कि पात्र आधिकारिक जनसंख्या (18-23 वर्ष) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

3 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ 2019 की रैंकिंग के अनुसार, प्रथम 300 विश्वविद्यालयों में केवल छह भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान (पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कानपुर और खड़गपुर) और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु) को स्थान दिया गया। केवल दिल्ली विश्वविद्यालय, पहले 500 सामान्य डिग्री विश्वविद्यालयों में 487 वें स्थान पर है।

4 इंडिया स्किल रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सहयोग से व्हीवोक्स, पीपलस्ट्रॉन्ग एवं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक संयुक्त पहल है।

अधिक छात्र रोजगार योग्य नहीं हैं। साथ ही सामान्य स्ट्रीम के 60 प्रतिशत से अधिक स्नातक छात्र रोजगार योग्य नहीं थे।

वर्तमान में उच्च शिक्षा में मौजूद समस्याओं से छुटकारा पाने के उद्देश्य से, नीतिगत दस्तावेजों जैसे कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना की स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क (2012-17) और भारत सरकार के आउटपुट-आउटकम बजट 2018-19 ने पहुंच, समता, गुणवत्ता और शासन को उच्च शिक्षा के मुख्य क्षेत्रों ***(चार्ट 1.2)*** के रूप में पहचान की है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

चार्ट 1.2 : उच्च शिक्षा में चार मुख्य क्षेत्र

पहुंच	समता	गुणवत्ता	शासन
पर्याप्त संख्या में संस्थानों की उपलब्धता	• उच्च शिक्षा में भागीदारी के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर	• सभी संस्थानों में शिक्षण तथा शोध में सुधार	• पहुंच, समता और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक

1.1 उच्च शिक्षा : राज्य का संक्षिप्त विवरण

- ***उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या तथा सकल नामांकन अनुपात :*** मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा प्रकाशित 'उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट' के अनुसार, वर्ष 2010-11 और 2018-19 के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या, महाविद्यालय घनत्व[5], और सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) के संदर्भ में राजस्थान और समस्त भारत के बीच एक तुलनात्मक विवरण नीचे ***तालिका 1.1*** में दिया गया हैं ।

तालिका 1.1 : उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या और सकल नामांकन अनुपात

वर्ष	विश्वविद्यालयों की कुल संख्या		महाविद्यालयों की कुल संख्या		महाविद्यालय घनत्व		सकल नामांकन अनुपात		सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य रैंकिंग
	राजस्थान	अखिल भारतीय	राजस्थान	अखिल भारतीय	राजस्थान	अखिल भारतीय	राजस्थान	अखिल भारतीय	
2010-11	*43*	*621*	*2,435*	*32,974*	*29*	*23*	*18.2*	*19.4*	*20*
2018-19	*83*	*993*	*3,156*	*39,931*	*35*	*28*	*23.0*	*26.3*	*23*
वृद्धि	*93%*	*60%*	*30%*	*21%*	*6*	*5*	*26%*	*36%*	*(-) 3*

स्रोत : उच्च शिक्षा की अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट

यह देखा जा सकता है कि 2010-11 और 2018-19 के दौरान यद्यपि राजस्थान में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या तथा महाविद्यालय घनत्व में वृद्धि का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से भी अधिक था, तथापि सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि बहुत कम थी (राजस्थान में 26 प्रतिशत और अखिल भारतीय 36 प्रतिशत)। आगे, उच्च शिक्षा में सकल

5 महाविद्यालय घनत्व = प्रति लाख आबादी पर महाविद्यालयों की संख्या।

नामांकन अनुपात के सन्दर्भ में सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राजस्थान की रैंकिंग भी धीरे-धीरे 20 (2010-11) से 23 (2018-19) तक घट गई । ये तथ्य इस ओर इशारा करते है कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि का राज्य में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने पर पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ा।

- ***उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग :*** उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क[6] (एनआईआरएफ) की रैंकिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 2019 में देश में शीर्ष 100 रैंक में राजस्थान के केवल दो निजी उच्च शिक्षण संस्थानों[7] को रखा गया था।

- ***उच्च शिक्षण तंत्र में कमजोरी :*** राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत तैयार राजस्थान की राज्य उच्च शिक्षा आयोजना- 2015-22 ने राज्य में उच्च शिक्षा में व्याप्त कई कमजोरियों की पहचान की, जिसमें अवसरंचना के विकास के लिए अपर्याप्त संसाधन, सामाजिक रूप से वंचित जनसंख्या के विशाल वर्ग के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच में कमी, समग्र तथा वर्ग वार सकल नामांकन अनुपात में कमी, कमजोर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त शिक्षण सहायता, छात्रों के लिए व्यवहारिक कौशल और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रमों की कमी, गुणवत्तापूर्ण पर्याप्त शिक्षकों की कमी, उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात, उद्योगों के साथ जुडाव का अभाव, उचित प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) और निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली की गैर-मौजूदगी, नैक प्रत्यायन प्राप्त संस्थानों की अल्प संख्या, पीएचडी शोध प्रकाशन तथा पेटेंट की अल्प संख्या, संस्थागत प्रमुखों का कमजोर नियंत्रण आदि सम्मिलित हैं ।

उपरोक्त तथ्यों से सिद्ध होता है कि राजस्थान के उच्च शिक्षा तंत्र का पहुंच, समता, गुणवत्ता और शासन के मामले में प्रदर्शन कमजोर था, राज्य ने भी इन कमियों को स्वीकार किया है। उपरोक्त मुद्दों की जांच करने के लिए, 'राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों' की निष्पादन लेखापरीक्षा संपादित करने का निर्णय लिया गया।

1.2 उच्च शिक्षा के लिए संगठनात्मक ढांचा

उच्च शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) में शामिल है। तदनुसार, इसकी योजना, कार्यान्वयन और नियमन की जिम्मेदारियों का निर्वहन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा साझे रूप से किया जाता है।

भारत में उच्च शिक्षा के प्रबंधन में शामिल विभिन्न केंद्रीय, राज्य और विश्वविद्यालय प्राधिकारिओं की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों पर संक्षेप में चर्चा नीचे की गई है :

6 एनआईआरएफ को एमएचआरडी द्वारा अनुमोदित और सितंबर 2015 में स्थापित किया गया था । यह देशभर के संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है ।

7 बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी (39 वीं रैंक) और बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली (87 वीं रैंक) ।

1.2.1 केन्द्रीय स्तर पर

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जुलाई 2020 में परिवर्तित नाम शिक्षा मंत्रालय) नीति और योजना दोनों के संदर्भ में उच्च शिक्षा क्षेत्र के बुनियादी अवसरंचना के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी है। एक नियोजित विकास प्रक्रिया के तहत, यह विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों के माध्यम से उच्च शिक्षा में पहुंच और गुणात्मक सुधार के विस्तार की देखभाल करता है। यह राज्य के मौजूदा राजकीय और राजकीय सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों के समग्र गुणवत्ता सुधार के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत धन प्रदान करता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जो कि धन राशि प्रदान करने, समन्वय स्थापित करने, मानकों के निर्धारण और संधारण के माध्यम से भारत में उच्च शिक्षा पर नियंत्रण करता है और निगरानी रखता है ।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक), यूजीसी की एक स्वायत्तशाषी संस्था है जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करती है। यह शैक्षिक प्रक्रियाओं और परिणामों, पाठ्यक्रम कवरेज, शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं, संकाय, शोध, बुनियादी ढ़ांचे, अधिगम संसाधनों आदि के संदर्भ में उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता के मानकों का मूल्यांकन करती है।

1.2.2 राज्य स्तर पर

राजस्थान में, शासन सचिव की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा विभाग, राज्य में उच्च शिक्षा के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार से संबंधित समग्र कार्य के लिए उत्तरदायी है। वह राजकीय महाविद्यालयों के प्रशासनिक, शैक्षिक और वित्तीय कार्यों को नियंत्रित करता है और निजी महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है।

रूसा के तहत, राज्य में उच्च शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर, उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य उच्च शिक्षा परिषद उत्तरदायी है। रूसा के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निदेशक, रूसा उत्तरदायी है।

1.2.3 विश्वविद्यालय स्तर पर

संबद्ध महाविद्यालयों में बुनियादी अवसरंचना, योग्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और छात्रों को डिग्री प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय राजकीय और निजी महाविद्यालयों को संबद्ध करता है। महत्वपूर्ण रूप से, विश्वविद्यालय के पास विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम की परिकल्पना करने, उन्हें समय-समय पर

संशोधित/अद्यतन करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि इन कार्यक्रमों के परिणामों को इसके शासी निकायों द्वारा परिभाषित किया जाए ।

कुलपति जो कि विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होता है, सीनेट, सिंडिकेट और शैक्षणिक परिषद् का पदेन सभापति होता है. सिंडिकेट मुख्य कार्यकारी निकाय है जो कि अध्यादेशों को बनाने, संशोधन करने और रद्द करने के लिए उत्तरदायी है और यह शैक्षणिक के साथ-साथ गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्त करता है और उनके कर्त्तव्यों, परिलब्धियों और सेवाओं की शर्तें परिभाषित करता है।

1.3 उच्च शिक्षा के परिणामों के मापदडों की पहचान करना

उच्च शिक्षा के परिणामों (आउटकमस) की पहचान और उनका मापन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुख्य हितधारकों- छात्रों, समाज और सरकार द्वारा अपेक्षित परिणामों को समझने के लिए लेखापरीक्षा ने नीति निर्माताओं (एमएचआरडी), प्रत्यायन एजेंसियों (राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद), नियामक संस्थाएं (यूजीसी), विशेषज्ञों[8] और शिक्षाविदों, आदि के साथ व्यापक परस्पर विचार-विमर्श किया। उनके द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर, लेखापरीक्षा ने उच्च शिक्षा के व्यापक परिणामों और उनको मापने के संबंधित मापदंड तय किए । यह सामने आया कि छात्र उच्च शिक्षा के प्राथमिक परिणाम के रूप में **'रोजगार क्षमता और उच्च अध्ययन'** की इच्छा रखते हैं, और समाज चाहता है कि उच्च शिक्षा **'शोध के माध्यम से नए ज्ञान के निर्माण में योगदान दे'** और **'प्रभावी शिक्षण/अधिगम की प्रक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रसार'** करें। सरकार का लक्ष्य **'उच्च शिक्षा का उच्च गुणवत्तापूर्ण एक ऐसा तंत्र बनाना है जिस तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच आसानी से हो'**। यह भी सामने आया कि इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक संस्थाओं के शासन की ठोस और मजबूत संरचना सर्वोपरि थी। इसलिए, लेखा परीक्षा ने **'सुशासन के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों'** की पहचान की और उनका मूल्यांकन किया।

लेखापरीक्षा ने यह भी महसूस किया कि उच्च शिक्षा के परिणामों की उपलब्धि एक प्रभावी उच्च शिक्षा तंत्र की स्थापना और प्रबंधन में आवश्यक कई इनपुट और आउटपुट पर निर्भर करती है। परिणामों, उनके संबंधित इनपुट व आउटपुट और उनके बीच का संबंध ***चार्ट 1.3*** में दर्शाया गया है। चिन्हित किए परिणामों के संबंध में उच्च शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, **26 प्रमुख परिणाम संकेतकों** के साथ-साथ **इनपुट-आउटपुट संकेतकों** ***(परिशिष्ट-1.1)*** को भी तैयार किया गया।

8 श्री वेद प्रकाश (पूर्व अध्यक्ष, यूजीसी), प्रो. दिनेश सिंह (पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय), श्री अजय शाह और सुश्री इला पटनायक (राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के प्रोफेसर), श्री रमेश के. अरोड़ा (पूर्व प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय), श्री सी एस राजन (पूर्व मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार), श्री आशुतोष ए टी पेडणेकर (तत्कालीन विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार) और श्री राजीव करंदीकर (निदेशक, चेन्नई गणितीय संस्थान)

चार्ट 1.3 : उच्च शिक्षा के परिणामों तथा उनसे संबंधित इनपुटस व आउटपुटस के बीच संबंध का आरेखीय निरूपण

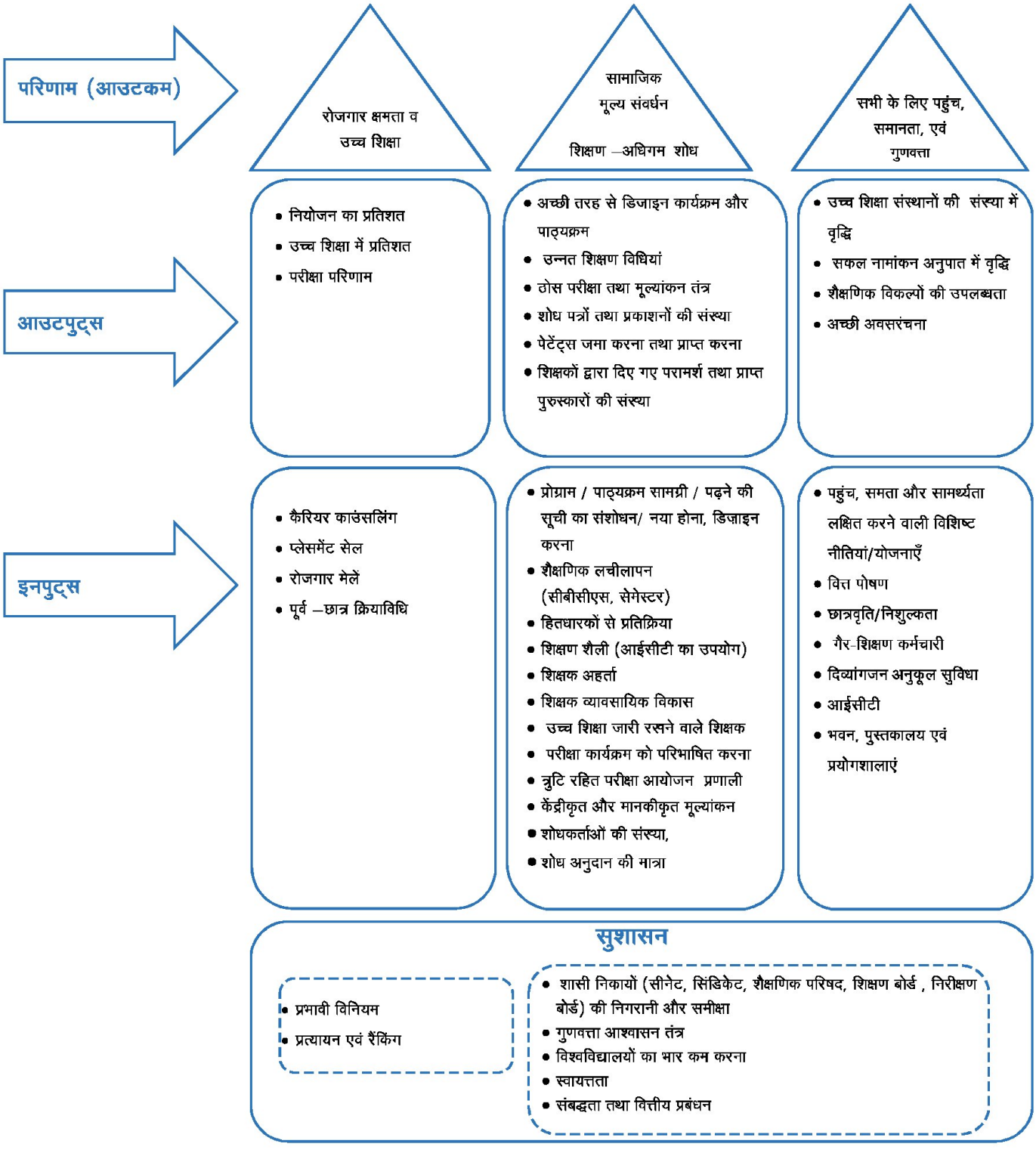

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

'राजस्थान में उच्च शिक्षा के परिणामों' की निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या :

(i) उच्च शिक्षा तंत्र उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की रोजगार क्षमता और उच्च अध्ययन के प्रगमन में वृद्धि को बढावा देता है;

(ii) उच्च शिक्षा तंत्र ने प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं और उच्च गुणवत्ता के शोध के माध्यम से समाज में योगदान दिया;

(iii) सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित की गई, और

(iv) उच्च शिक्षा तंत्र का शासन और प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

यह निष्पादन लेखा परीक्षा निम्नलिखित दस्तावेजों से प्राप्त मानदंडों के आधार पर की गई थी :

- बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जारी 'उच्च शिक्षा की समावेशी और गुणात्मक विस्तार' प्रतिवेदन।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नैक) द्वारा जारी दिशानिर्देश और नियमावली।
- नैक द्वारा जारी आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ नियमावली।
- रूसा के तहत बनाई गई राज्य उच्च शिक्षा आयोजना (2015-22)।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उच्च शिक्षा विभाग/आयुक्त, कॉलेज शिक्षा आदि द्वारा जारी किए गए परिपत्र/आदेश।
- चयनित विश्वविद्यालयों द्वारा जारी की गई हैण्ड बुक, परिपत्र और दिशानिर्देश।
- चयनित विश्वविद्यालयों के निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- चयनित विश्वविद्यालयों के वार्षिक लेखे।

1.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा पद्धति

1.6.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

'उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट' 2018-19 के अनुसार, राजस्थान में कुल 83 विश्वविद्यालय[9] एवं 3,156 महाविद्यालय थे। 23 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय थे, जिनमें से 10 विश्वविद्यालय सामान्य शिक्षा (विज्ञान/कला/वाणिज्य) प्रदान कर रहे थे।

9 83 विश्वविद्यालयों में से 23 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 45 राज्य निजी विश्वविद्यालय, आठ मानित निजी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के पांच संस्थान, एक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा 2014-15 से 2018-19 की लेखापरीक्षा अवधि के लिए सितंबर 2019 से फरवरी 2020 के दौरान संपादित की गई थी। लेखापरीक्षा में राज्य के विश्वविद्यालयों, संघटक और संबद्ध महाविद्यालयों में छात्र प्रगमन, पहुंच, समता, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और शासन जैसे पहलुओं की जाँच शामिल थी। सामान्य स्ट्रीम (विज्ञान/कला/वाणिज्य) में शिक्षा प्रदान करने वाले 10 राज्य विश्वविद्यालयों में से तीन[10] (30 प्रतिशत) सरल यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा चुने गए थे। पांच में से तीन संघटक महाविद्यालयों (राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से दो और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (जेएनवीयू), जोधपुर से एक) और इन तीन चयनित विश्वविद्यालयों से संबद्ध 602 राजकीय/ निजी महाविद्यालयों में से 60 (10 प्रतिशत) सरल यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा चुने गए थे। संबद्ध महाविद्यालयों की उचित लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए, राजकीय संबद्ध महाविद्यालयों और निजी संबद्ध महाविद्यालयों में से 30 महाविद्यालय नीचे दी गई ***तालिका 1.2*** के विवरण अनुसार चुने गए थे।

तालिका 1.2 : चयनित संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या

	कुल संबद्ध महाविद्यालय	चयनित संबद्ध महाविद्यालयों की संख्या		
		कुल महाविद्यालय	राजकीय महाविद्यालय	निजी महाविद्यालय
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	310	31	15	16
जेएनवीयू, जोधपुर	195	19	10	9
जीजीटीयू, बांसवाड़ा	97	10	5	5
कुल	602	60	30	30

इसके अलावा, सचिव, उच्च शिक्षा और आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के अनुरोध पर, छह अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों (प्रत्येक तीन चयनित विश्वविद्यालयों में से दो) की नमूना जांच भी की गई थी। इस प्रकार, कुल 66 महाविद्यालयों (36 राजकीय महाविद्यालयों और 30 निजी महाविद्यालयों) की नमूना जांच की गई थी (चयनित महाविद्यालयों के नाम ***परिशिष्ट 1.2*** के भाग के रूप में उपलब्ध हैं)। इसके अतिरिक्त, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के अभिलेखों की भी जांच की गई।

1.6.2 लेखापरीक्षा पद्धति

उच्च शिक्षा के परिणामों को प्राप्त करने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए लेखापरीक्षा संपादित की गई थी। ना तो भारत सरकार और ना ही राजस्थान सरकार ने ऐसे परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। उच्च शिक्षा के परिणामों के मूल्यांकन और माप के लिए परिभाषित मानदंडों की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा में नीतिगत दस्तावेजों, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों, नैक मूल्यांकन संकेतकों, उच्च शिक्षा विशेषज्ञों के इनपुट और

10 दो विश्वविद्यालय (राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और जेएनवीयू, जोधपुर) को छः पुराने विश्वविद्यालयों में से चुने गए थे जो या तो नैक से प्रत्यायन प्राप्त थे या प्रत्यायन के लिए आवेदन किया था और एक विश्वविद्यालय (गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (जीजीटीयू), बांसवाड़ा) को चार अन्य नए विश्वविद्यालयों में से चुना गया था।

राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के सुझावों के आधार पर स्वयं के मानदंड विकसित करने पड़े।

लेखापरीक्षा ने नैक द्वारा विश्वविद्यालयों को ग्रेड देने के लिए अपनी प्रत्यायन प्रक्रिया में प्रयुक्त की जाने वाली अंक प्रणाली के आधार पर मात्रात्मक सदृश (प्रॉक्सी) मानदंड विकसित किए हैं। नैक अंक प्रणाली के तहत, उच्च शिक्षण संस्थान को प्रत्येक मूल्यांकन मानदंड के लिए अंक (0 से 4 तक) प्रदान किए जाते है। अंतिम ग्रेड देने के लिए भारिता के आधार पर संचयी औसत की गणना की जाती है (जो ए++, ए +, ए , बी ++, बी+, बी, सी, डी में से एक हो सकती है)। गोपनीयता के कारणों से, नैक ने एक विशेष मानदंड पर उच्च शिक्षण संस्थान के प्रदर्शन और तदनुसार नैक द्वारा उसके लिए प्रदान किए गए अंक के बीच सहसंबंध का खुलासा नहीं किया था। हालाँकि, 2017-18 के दौरान नैक ग्रेडिंग प्रणाली के तहत ए++, ए +, ए , बी++, बी +, बी, सी ग्रेड पाने वाले 22 विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के विश्लेषण के आधार पर, लेखापरीक्षा ने प्रत्येक मानदंड के लिए अंकों और प्रदर्शन के बीच एक सहसंबंध विकसित किया *(परिशिष्ट 1.3)*। इस सहसंबंध को तब चुने गए विश्वविद्यालयों तथा प्रत्येक चुने हुए संकेतक के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सदृश मानदंडों के रूप में इस्तेमाल किया गया। सितम्बर 2019 में आयोजित परिचयात्मक बैठक के दौरान लेखा परीक्षित इकाइयों के प्रमुखों के साथ सदृश मानदंडों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा इनको विस्तार से स्पष्ट किया गया।

कार्यस्थलों के भौतिक निरीक्षण के माध्यम से लेखापरीक्षा संपादित की गई थी तथा प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां, विचार-विमर्श पत्रों और कार्यस्थलों की तस्वीरों के माध्यम से साक्ष्य एकत्र किए गए थे। शिक्षा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए, छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण के माध्यम से 2,280[11] छात्रों के फीडबैक भी प्राप्त किए गए थे। महत्वपूर्ण सर्वेक्षण नतीजों पर इस प्रतिवेदन के संबंधित अनुच्छेदों में प्रासंगिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ चर्चा की गई है। हालाँकि छात्र सर्वेक्षण के सम्पूर्ण नतीजे *परिशिष्ट 5.3* में दिए गए है। सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार और तीनों चयनित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई थी(सितंबर 2019), जिसमें इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा पद्धति एवं सदृश मानदंडों सहित लेखापरीक्षा मानदंडों पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों, प्रतिक्रियाओं और मुद्दों का समाधान करने के लिए चयनित विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों[12] के साथ जून और जुलाई 2020 में निर्गम बैठक (एक्जिट कॉन्फ्रेंस) आयोजित की गई थी। सचिव, उच्च शिक्षा विभाग और आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के साथ एक्जिट कॉन्फ्रेंस तीन बार निर्धारित होने के बावजूद भी आयोजित नहीं की जा सकी। हालांकि, राजस्थान सरकार ने प्रारूप प्रतिवेदन का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर दिया था (अगस्त 2020)।

---

11 प्रत्येक चयनित महाविद्यालयों के 30 छात्रों का (स्नातक कोर्स के द्वितीय/ तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर कोर्स के अंतिम वर्ष के छात्रों की समान संख्या) और विश्वविद्यालयों के प्रत्येक चयनित विभागों से स्नातकोत्तर कोर्स के अंतिम वर्ष के 15 छात्रों का छात्र सर्वेक्षण किया गया था। संबंधित महाविद्यालयों/ विभाग के निरीक्षण की तारीख पर उपलब्ध छात्रों में से यादृच्छिक ढंग से छात्रों का चयन किया गया था।

12 जीजीटीयू, बांसवाड़ा के कुलपति और जेएनवीयू, जोधपुर व आयुक्तालय (कॉलेज शिक्षा) राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों तथा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के वित्तीय सलाहकार।

जेएनवीयू, जोधपुर ने अवगत (अक्टूबर 2020) कराया कि चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जुलाई 2020 में लागू कर दिया गया है, इस प्रतिवेदन में उठाए गए लेखापरीक्षा आपत्तियों को विश्वविद्यालय द्वारा जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने अपने जवाब में तथ्य स्वीकार किए (जनवरी 2021) तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया ।

1.7 आभार

लेखापरीक्षा इस निष्पादन लेखा परीक्षा के संपादन में उच्च शिक्षा विभाग; आयुक्त कॉलेज शिक्षा; राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर; जेएनवीयू, जोधपुर और जीजीटीयू, बांसवाड़ा के कुलपतियों व संबंधित अधिकारियों तथा चयनित राजकीय महाविद्यालयों और निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है ।

1.8 प्रतिवेदन की संरचना

इस प्रतिवेदन की संरचना इस प्रकार की गई है कि यह उच्च शिक्षा के वांछित परिणामों के संदर्भ में राजस्थान सरकार के प्रदर्शन, और इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट और आउटपुट प्रदान करने की दिशा में किए गए प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है। इन परिणामों की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती हैं कि सरकार के हस्तक्षेप कितना यथेष्ट और प्रभावी तरीके से नियोजित एवं कार्यान्वित किए जाते हैं । इसलिए, अनेक इनपुट जैसे कि वित्तपोषण और मानव संसाधन, और आउटपुट जैसे कि शोध और पूंजीगत व्यय, जिन्होंने इन परिणामों को सीधे प्रभावित किया था, का भी आकलन किया गया और उन पर टिप्पणी की गई।

चिन्हित किए गए प्रत्येक परिणाम और संबंधित सरकारी हस्तक्षेपों के बारे में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर आगामी चार अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई हैं। 'रोजगार क्षमता' और 'उच्च शिक्षा' के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय II में, 'प्रभावी शिक्षण/ अधिगम प्रक्रिया और उच्च गुणवत्ता पूर्ण शोध' के संबंध में अध्याय III में, 'उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच' के संबंध में अध्याय IV में और 'शासन एवं प्रबंधन' के संबंध में अध्ययन V में सम्मिलित किए गए हैं ।